



UPSI010018002026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं-21/2026

सी.आई.एस.नं.-154/2026

भीखम

बनाम

सरकार।

दिनांक-19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-408 सी०आर०पी०सी०/448 बी०एन०एस०एस० के माध्यम से प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि सत्र परीक्षण सं०-1037/2024 सरकार बनाम भीखम अ० धारा-307 भा०दं०सं० थाना महोली न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (ओ०ए०डब्लू०) महोदय, सीतापुर व सत्र परीक्षण सं०-366/2013 सरकार बनाम भीखम, अं० धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट न्यायालय तृतीय अपर सेशन जज महोदय, सीतापुर में विचारधीन है। पूर्व में दोनों वाद न्यायालय सं०-03 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीतापुर में एक साथ चल रहे थे, परन्तु गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित वाद न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सेशन जज महोदय, सीतापुर में स्थानान्तरित हो गया तथा धारा-307 भा०दं०सं० का वाद न्यायालय श्रीमान अपर सेशन जज/एफ०टी०सी महोदय में स्थानान्तरित हो गया। अतः प्रार्थी द्वारा सत्र परीक्षण सं०-1037/2024 सरकार बनाम भीखम अं०धारा-307 भा०दं०सं० को स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट, कोर्ट सं०-03 में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से आख्या प्राप्त हुई, जिसके अनुसार सम्बन्धित प्रकरण सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र 3 क 1 पर सुना तथा सम्बन्धित न्यायालयों से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सत्र परीक्षण सं०-1037/2024 सरकार बनाम भीखम अं०धारा-307 भा०दं०सं०, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर से वापस लेकर विधिपूर्ण निस्तारण हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०-03, सीतापुर में स्थानान्तरित किया जाता है। कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनांक-19.03.2026

Dheer/-

(आशीष जैन)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।